जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 08.09.2024**

एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कोतवाली शामली क्षेत्रांतर्गत नहर पटरी पर हुई व्यक्ति की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त आलाकत्ल बरामदगी के दौरान हुई मुठभेड़ में घायल सहित 06 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक पिस्टल, एक तमंचा व एक सरकारी पिस्टल व मोटरसाईकिल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.09.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नहर पटरी पर शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन पुत्र स्व0 रणवीर काम्बोज निवासी शिव विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतावली शामली पर सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण व थानाध्यक्ष कोतवाली शामली मय फोर्स व सर्विलांस व फील्ड़ यूनिट की टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किये गये। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता की दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शामली के नेतृत्व में 05 टीमों का गठन कर घटना का यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में दिनांक 07.09.2024 को एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना कोतवाली शामली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली शामली क्षेत्रांतर्गत नहर पटरी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा शिव कुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन की गोली मारकर हत्या किये जाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 06 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था। दिनाँक 07.09.2024 को ही गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण जयवीर व आशु से आलाकत्ल की बरामदगी हेतु सिम्भालका बाईपास पुल के पास लाया गया था। बरामदगी के पश्चात अभियुक्त जयवीर द्वारा उ0नि0 श्री पवन कुमार की सर्विस पिस्टल अचानक झपट्टा मार छीनकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुये भागने का प्रयास किया गया था। पुलिस पार्टी द्वारा मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में 01 अभियुक्त जयवीर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ घायल/गिरफ्तार हुआ है, जिसको उपचार हेतु सीएचसी शामली भेजा गया है। अभियुक्तगण जयवीर व आशू की निशांदेही पर आलाकत्ल 01 पिस्टल 30 बोर व 01 तमंचा मय 01 खोखा 315 बोर तथा अभियुक्त जयवीर के कब्जे से आलाकत्ल बरामदगी के पश्चात उ0नि0 श्री पवन कुमार से छीनी गयी सरकारी पिस्टल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल पल्सर रजि0 नं0- UP 14X 3005 बरामद हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

घटना का विवरण व हत्या का उद्देश्य- अभियुक्त राहुल नें पूछताछ पर बताया कि मैं मृतक शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन की पहली पत्नी मिथलेश के पुत्र सोनू उर्फ शोभित व मोहित का दोस्त हूँ और हमारे पारिवारिक सम्बन्ध हैं। शिवकुमार ने अपनी दूसरी शादी आस्था काम्बोज से की थी, जिसके एक लडका और एक लडकी है। पिछले करीब 2 वर्ष से शिवकुमार ने जो भी प्रोपर्टी खरीदी और बेची है वह सब अपनी दूसरी पत्नी आस्था के नाम कर दी है। इसी बात को लेकर सोनू और मोहित दोनो शिवकुमार से विवाद करने लगे और प्रोपर्टी अपने नाम पर करने के लिए कहने लगे लेकिन शिवकुमार ने उनकी बात नहीं मानी। शिवकुमार के पास काफी प्रोपर्टी है। पिता-पुत्रों के बीच विवाद इतना बढ गया था कि पिछले 02 वर्ष से सोनू और मोहित अपने पिता शिवकुमार को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कामयाब नही हो पा रहे थे। यह बात सोनू व मोहित ने मुझे बताई तो हम तीनो ने योजना बनाई कि शिवकुमार की सुपारी देकर मरवा देते है। शिवकुमार के साथ प्रोपर्टी खरीदने-बेचने में ओमबीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कसेरवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली वर्तमान पता B220 सेक्टर 4 डिफेंस कालोनी थाना नेहरु कालोनी जनपद देहरादून उत्तराखंड भी काम करता था लेकिन लेन देन को लेकर शिवकुमार व

ओमबीर में विवाद हो गया था और ओमबीर-शिवकुमार से अलग होकर देहरादून चला गया था। सोनू देहरादून में ही पढता था और ओमबीर से पिता की वजह से पूर्व से ही परिचित था तथा देहरादून में ओमबीर के पास भी आता जाता रहता था। हमें जानकारी थी की ओमबीर व शिवकुमार में विवाद हो तो हमने ओमबीर के जरिये ही शिवकुमार की हत्या कराने की योजना बनायी और ओमबीर को अपनी योजना में शामिल कर लिया। ओमबीर ने सोनू से बताया कि शिवकुमार की हत्या कराने की 5 लाख सुपारी जाएगी और 5 लाख रुपये वह खुद लेगा फिर ओमबीर ने अपने मिलने वाले शूटर जयवीर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ से हमे मिलवाया और हमारी बात तय हो गयी। सोनू और मोहित ने मुझे बताया कि उनके पिता रोजाना सुबह-सुबह घूमने के लिए कैराना रोड से होते हुये नहर की पटरी पर जाते है वहां पर मारना आसान होगा फिर मैने शिवकुमार की कुछ दिन तक रैकी की। शिवकुमार सुबह करीब 04 अपने घर से कैराना रोड होता हुआ नहर पटरी पर जाता था। योजना के अनुसार दिनाँक 31.08.2024 की शाम करीब 05.00-05.30 बजे जयवीर अपने भतीजे आशु उर्फ सौरभ पुत्र सुरेन्द्र के साथ शामली आ गया था। मैने इन दोनो को अपनी नालापटरी स्थित फैक्ट्री में रुकवा दिया। दिनाँक 01.09.2024 की सुबह करीब 4 बजे मैं अपने घर से फैक्ट्री गया और जयवीर व आशु एक बाईक से और मै अलग बाईक से शामली कैराना रोड पर आये। शिवकुमार अपने घर से निकलकर घूमने के लिए गुलजारी मन्दिर के पास कैराना रोड पर आया और रोड पार करके कैराना रोड पर सडक किनारे किनारे नहर की ओर जाने लगा। शिवकुमार ने ग्रे रंग की हाफ टीशर्ट पहन रखी थी मैने जयवीर और आशु उर्फ सौरभ को शिवकुमार की तरफ इशारा करके उसकी पहचान कराई और बताया कि जब यह नहर पटरी पर घूमने के लिए चला जाए तो गोली मार देना और मै वापस आ गया। उसके बाद जयवीर और आशू उर्फ सौरभ कैराना नहर पुल से होते हुए शिवकुमार के पीछे गये और अजय मूनलाईट रिजार्ट से थोडा पहले शिवकुमार को अकेला पाकर गोली मार दी और दोनो बाईक से वापस आ गये और बताया कि काम हो गया है हमारे पैसे भिजवा देना। मैने यह बात सोनू और मोहित को बता दी और जयवीर व आशू उर्फ सौरभ को पैसे भिजवाने के लिए भी बता दिया तथा हम अपने अपने काम में पहले की तरह लग गये लेकिन फिर भी पुलिस नें हमें पकड़ लिया। अभियुक्तगण से पूछताछ के आधार पर मृतक शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन उपरोक्त के दोनो पुत्र सोनू उर्फ शोभित व मोहित द्वारा अपने साथी / सह अभियुक्त राहुल शर्मा के साथ योजना बनाकर पूर्व में शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन के साथी रहे ओमबीर सिंह को योजना में सम्मिलित कर ओमबीर सिंह के जरिये किराए पर हत्या करने वाले बदमाश जयवीर व आशु उर्फ सौरभ से शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन की हत्या कारित करने का योजनाबद्ध अपराध किया गया है।

<u>नाम व पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.जयवीर पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ। (घायल)

2.आशु उर्फ सौरभ पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम बटावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ।

3.राहुल शर्मा पुत्र सुशील शर्मा निवासी गली नं0 04 रेलपार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

4.सोनू उर्फ शोभित पुत्र शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन निवासी मौहल्ला शिव विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मोहित पुत्र शिवकुमार काम्बोज उर्फ गुड्डन निवासी मौहल्ला शिव विहार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.ओमबीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कसेरवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली हाल निवासी B220 सेक्टर 4 डिफेंस कालोनी थाना नेहरु कालोनी जनपद देहरादून (उत्तराखंड)।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.आलाकत्ल एक पिस्टल 30 बोर।

2.आलाकत्ल एक तमंचा मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

3.मुठभेड़ के दौरान छीनी गयी सरकारी पिस्टल।

4.मोटरसाईकिल पल्सर रजि0 नं0- UP 14X 3005

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री समयपाल अत्री थानाध्यक्ष थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री पविन्द्र कुमार प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री फतेह सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल जनपद शामली।
4.व0उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
5.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह एसओजी टीम जनपद शामली।
6.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
7.है0का0 है0का0 सोहित थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
8.है0का0 विकास पूनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
9.है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
10.है0का0 दीपक कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
11.है0का0 नितिन त्यागी एसओजी टीम जनपद शामली।
12.है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
13.है0का0 ललित शर्मा एसओजी टीम जनपद शामली।
14.है0का0 सुरेश कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
15.कां0 अमित सांगवान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
16.का0 मनीष कुमार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
17.का0 मोहित सांगवान सर्विलांस सैल जनपद शामली।
18.का0 सुशील बुटार सर्विलांस सैल जनपद शामली।
19.का0 दीपक निर्वाण एसओजी टीम जनपद शामली।
20.का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
21.का0 दीपांकुर त्यागी एसओजी टीम जनपद शामली।
22.का0 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
23.का0 रोहित कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

नोट:- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर महोदय द्वारा घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को 25,000/- रुपये की राशि से पुरस्कृत करने एवं पर्यवेक्षण करने वाले राजपत्रित अधिकारीगण को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने की घोषणा की गयी है।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 08.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना आदर्शमण्डी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 30.08.2024 को थाना आदर्शमण्डी पर नामजद तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सोनू पुत्र घीसाराम उर्फ घिस्सा निवासी कमला नगर थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.का0 आदेश कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3.का0 राजीव थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध गांजा बरामदः-

आज दिनांक 08.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को 520 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.वाजिद पुत्र कामिल निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 520 ग्राम गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 अनिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4. का0 ब्रजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में लिप्त 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 10.08.2024 को वादी श्री राजीव कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम मुण्डेट थाना थानाभवन जनपद शामली ने अज्ञात चोर द्वारा घर में चोरी करने व दिनांक 07.05.2024 को वादी नसीमा पुत्र स्व0 नसीम निवासी मौहल्ला लाल मस्जिद थाना थानाभवन जनपद शामली के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में लिप्त 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.राहुल पुत्र राजवहादुर निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.जोनी पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।
3.श्रीमती सन्तोष पत्नि वृजपाल ग्राम मुण्डेट खादर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.दो हाथ के कडे,एक गले का हार,एक लेडीज अगूठी,एक जोडा कानो के टाक्स सभी पीली धातु के व आठ बिछुआ,दो जोडा पायल सफेद धातु (सम्बन्धित मु0अ0सं0-281/24)।

2.एक कटोरा फाइबर,एक थाली,दो प्लेट,एक फ्राइपैन,एक ग्लास,दो चाय छाननी छलनी,तीन कटोरी,एक लोटा छोटा,एक ढक्कान,एक इलैक्ट्रानिक कैतली व 01 गैस सिलेन्डर इण्डेन कंम्पनी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 136/2024)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री प्रसाद सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.है0का0 अमरदीप तौमर थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.का0 पवन भाटी थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.म0का0 निधि थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता, झिंझाना व कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 08.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता, झिंझाना व कांधला पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आर्यन पुत्र नरेश निवासी ग्राम गढी अब्दुल्ला थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

2.गौरव मलिक पुत्र सुधीर सिंह निवासी ग्राम मतनावली थाना कांधला जनपद शामली ।

3.जुहारी पुत्र झनक निवासी खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जनपद शामली ।

4.राजीव उर्फ विक्कू पुत्र महावीर निवासी ग्राम रामपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली ।

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपराध गोष्ठी कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।

आज दिनांक 08.09.2024 को पुलिस लाइन सभागार में सैनिक सम्मेलन व मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम द्वारा गोष्ठी कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा कानून व्यवस्था, अपराध की रोकथाम व अनावरण हेतु शेष अभियोगो की समीक्षा, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर, गुंड़ा व गैंग पंजीकरण कराने, लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण, जनसुनवाई, शासन द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो का शत प्रतिशत अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। गोष्ठी में भा0द0वि0/बीएनएस0 के अपराध, महिला उत्पीड़न, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधी अपराध व निरोधात्मक कार्यवाही की मासिक समीक्षा व प्रगतिशील सूचना के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गोष्ठी में मिशन शक्ति अभियान को सफल बनाने हेतु महिलाओं/ बालिकाओं को जागरूक करने, साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान चलाकर आम-जनमानस को जागरूक करने, लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों तथा अपहृताओं की शीघ्र बरामदगी करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया।

महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि थाने पर आने वाले आगन्तुकों/ फरियादियों/ जनप्रतिनिधियों के साथ विनम्र व शालीन व्यवहार करें, जिससे कि आम जनता बिना किसी भय के अपनी शिकायतों के निस्तारण हेतु थानों पर आ सके। फरियादियों की शालीनतापूर्वक समस्याओं को सुनकर तत्काल निष्पक्ष आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI